

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या.....68.....

वर्ष 2023.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

बनाम

अपीलकर्ता श्री धर्मू नथ विष्कर्मा,  
शा.प. - केकरिया, पं.प. - मुरीमकला,  
- 30 - डेवरीरोड, जिला - पलामू ।  
प्रतिवादी जिला आसुरि पदा. पलामू

वाद प्रारंभ की तिथि  
21/12/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की  
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय  
अभ्युक्ति

वाद सं0-68 / 2023

परिवादी श्री शम्भु नाथ विश्वकर्मा, ग्राम-चेचरिया, पंचायत-मुरामकला, प्रखण्ड-ऊँटारी रोड, जिला-पलामू का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक-29.09.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना सूचना उनका राशन कार्ड सं0-202005149484 रद्द कर दिया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि जब इसकी शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में की गई तो उनका हरा राशन कार्ड सं0-202800994700 बनवा दिया गया।

परिवादी का एक अन्य आवेदन दिनांक-25.11.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि पूर्व में आयोग के व्हाटसएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी किन्तु उनकी समस्या का निवारण अबतक नहीं किया गया है। यह भी कि राशन नहीं मिलने की स्थिति में परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक-11.01.2024 को अपराहन 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  
राँची।